कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांकः 07/01/2022

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
.....अरबन को–आपरेटिव बैंक लि0,..... (समस्त)
.....नागरिक सहकारी बैंक लि0,.....
.....महिला अरबन/नागरिक सहकारी बैंक लि0..... (समस्त)
.....रेल्वे एम्पॅलाईज को–आपरेटिव बैंक लि0..... (समस्त)

विषयः– एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019
प्रसंगः– दी राज. अरबन को–आपेरटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 जयपुर का पत्र क्रमांक फा.8 (10) RUCBF/191 दिनांक 05.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वगीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित अस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्वेश्य से दिनांक 05.07.2019 को एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019 जारी की गई थी। राजस्थान अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0 द्वारा प्रासंगिक पत्र से एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019 में कुछ संशोधन चाहे गए थे। अतः योजना में निम्नानुसार संशोधन पश्चात योजना की अवधि 30 जून, 2022 तक बढाने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि संबंधित अरबन को–ऑपरेटिव बैंक/नागरिक सहकारी बैंक योजना की क्रियान्विति संस्था के संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अंगीकार करने के पश्चात करेगे। ब्याज दर निर्धारण के संबंध में प्रत्येक बैंक अपने संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय लेगा। यह ब्याज दर 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के मध्य निर्धारित की जा सकती है लेकिन किसी एक बैंक के ओटीएस की पात्रता रखने वाले सभी ऋणियों पर एक ही ब्याज दर लागू होगी।

क्रमांक	दिनांक 05.07.2019 को जारी ओटीएस में प्रस्तावित	संशोधित
3	योजना की प्रवर्तन अवधि दिनांक 01.08.2019 से 31.03.2020 तक रहेगी।	योजना की प्रवर्तन अवधि दिनांक 01.08.2019 से 30.06.2022 तक रहेगी।
4(अ)	सभी प्रकार के ऋणों की गैर निष्पादित आस्तियां, चाहे उनकी प्रकृति किसी भी व्यवसाय गतिविधियां/उद्देश्य से सम्बन्धित हो, दिनांक 31.3.2019 को एन.पी.ए. श्रैणी में वर्गीकृत हो, योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समझौता हेतु पात्र समझा जायेंगे अर्थात ऐसे ऋण प्रकरण जो कि 01.04.2019 को अवधिपार हो चुके थें तथा उसके बाद नियमित नहीं हुए, ऐसे ऋण प्रकरण योजनान्तर्गत निस्तारण हेतु पात्र समझे जायेंगे।	सभी प्रकार के ऋणों की गैर निष्पादित आस्तियां, चाहे उनकी प्रकृति किसी भी व्यवसाय गतिविधियां/उद्देश्य से सम्बन्धित हो, दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. श्रैणी में वर्गीकृत हो, योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समझौता हेतु पात्र समझा जायेंगे। ऐसे ऋण प्रकरण योजनान्तर्गत निस्तारण हेतु पात्र समझे जायेंगे।
7(अ)	ऐसे ऋण खाते जो दिनांक 31.03.2019 को गैर निष्पादित आस्तियों में संदिग्ध (Doubtful Assets)एवं हानि आस्ति(Loss Assets) के रूप में वर्गीकृत हो चुके हो के ऋणियों से इस योजनान्तर्गत उक्त ऋण के एन.पीए.(गैर निष्पादित आस्ति) के वर्गीकृत होने की दिनांक (Date of NPA) से अथवा एनपीए खाते में Undebited ब्याज की	ऐसे ऋण खाते जो दिनांक 31.03.2021 को गैर निष्पादित आस्तियों में संदिग्ध (Doubtful Asset)एवं हानि आस्ति(Loss Assets) के रूप में वर्गीकृत हो चुके हो के ऋणियों से इस योजनान्तर्गत उक्त ऋण के एन.पीए.(गैर निष्पादित आस्ति) के वर्गीकृत होने की दिनांक (Date

7.1.22

	वास्तविक वसूली बकाया होने की दिनांक से,जो भी दिनांक बाद में हो, बकाया ऋण राशि चुकाने की वास्तविक दिनांक तक का ब्याज,ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (जो भी कम हो) की दर से साधारण ब्याज वसूली किया जाऐगा । किसी तरह का दंड ब्याज (Penal Intt.) नहीं वसूली किया जायेगा ।	of NPA) से अथवा एनपीए खाते में Undebited ब्याज की वास्तविक वसूली बकाया होने की दिनांक से,जो भी दिनांक बाद में हो,बकाया ऋण राशि चुकाने की वास्तविक दिनांक तक का ब्याज, ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित ब्याज दर (जो भी कम हो) से साधारण ब्याज वसूली किया जाऐगा। किसी तरह का दंड ब्याज (Penal Intt.) नहीं वसूली किया जायेगा ।
8	उक्तानुसार गणना की गई जमा योग्य राशि जमा कराये जाने पर समझौता निष्पादित कर आव यक राहत सम्बन्धित को दी जावेगी। इस योजना के तहत ऋणी राहत का पात्र तभी होगा जब उसके द्वारा एकमुश्त समझौता अंतर्गत देय राशि का पूरा भुगतान एकमुश्त समझौता तिथि को या 31.03.2019 को खातें में बकाया राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करा दी हो। समझौता अन्तर्गत देय शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त या अधिकतम दस बराबर किस्तों में दिनांक 31.03.2020 तक जमा करवाना आवश्यक होगा। इस तिथि के बाद इस योजना में राहत देय नहीं होगी। तथा यदि ऋणी द्वारा कोई राशि जमा करा दी है तो वह उसके खाते में बकाया राशि में समायोजित कर दी जावेगी ।	उक्तानुसार गणना की गई जमा योग्य राशि जमा कराये जाने पर समझौता निष्पादित कर आव यक राहत सम्बन्धित को दी जावेगी। इस योजना के तहत ऋणी राहत का पात्र तभी होगा जब उसके द्वारा एकमुश्त समझौता अंतर्गत देय राशि का पूरा भुगतान एकमुश्त समझौता तिथि को या 31.03.2021 को खातें में बकाया राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करा दी हो। समझौता अन्तर्गत देय शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त या अधिकतम दस बराबर किस्तों में दिनांक 30.06.2022 तक जमा करवाना आवश्यक होगा। इस तिथि के बाद इस योजना में राहत देय नहीं होगी। तथा यदि ऋणी द्वारा कोई राशि जमा करा दी है तो वह उसके खाते में बकाया राशि में समायोजित कर दी जावेगी ।
10(4)	यह योजना 31.03.2020 तक प्रभावी रहेगी। बैंक द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा सम्बन्धित शाखाओं द्वारा ऐसे सभी ऋण खातेदारों को यथासंभव पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगां	यह योजना 30.06.2022 तक प्रभावी रहेगी। बैंक द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा सम्बन्धित शाखाओं द्वारा ऐसे सभी ऋण खातेदारों को यथासंभव पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगा

7.1.22

(दिनेश शर्मा)
संयुक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)